"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321 ]    रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2012—पौष 5, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 9355/3346/21-ब/छ.ग./12.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, छ.ग. शासन इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 7513/2702/21-ब/छ.ग./12 रायपुर दि. 18-9-12 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

कालम नं. 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :—

सिविल जिला अम्बिकापुर

Raipur, the 6th December 2012

NOTIFICATION

F. No. 9355/3346/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in this department's previous notification No. 7513/2702/XXI-B/C.G./12, Raipur dated 18-9-12, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

For the entry in column No. 3, the following shall be substituted, namely :—

Ambikapur Civil District

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामंतराय,** सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.